न्यायालय षष्टम अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (यू०पी०एस०ई०बी०) बरेली।

उपस्थितः श्रीमती अमृता शुक्ल, एच० जे०एस० ।

सिविल अपील संख्याः 14 सन 2019

(CNR-UPBR0000715-2018)

श्रीमती प्रेमवती एंव अन्य बनाम श्रीमती रूखसाना

07.07.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अपीलार्थीगण अनुपस्थित हैं। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। बार–बार पुकार कराये जाने पर भी अपीलार्थीगण की ओर से न तो उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। पूर्व तिथि भी अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही था तथा उनकी ओर से स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण की प्राचीनता को दृष्टिगत रखते हुये अपीलार्थीगण को न्यायहित में एक अवसर बहस के स्तर पर अपना पक्ष रखने हेतु इस शर्त के साथ प्रदान किया गया था कि वह अग्रिम नियत तिथि पर उपस्थित होगें, किन्तु आज अपीलार्थी की ओर से न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अपील अति प्राचीनतम वादों में एक है और अपीलार्थीगण को बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनकी ओर सग प्रकरण में बहस की कार्यवाही सुनिश्चित नही करायी जा सकी है। इस स्तर पर प्रस्तुत अपील को लम्बित रखने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति में खारिज की जाती है।

(अमृता शुक्ला)
अपर जिला जज, कक्ष संख्या–6/
विशेष न्यायाधीश, भ्र०नि० (यू०पी०एस०ई०बी०)
बरेली।